बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक – वि० प्रा० (III) विविध–21/2025/ /पटना, दिनांक–

प्रेषक,

गोपाल प्रसाद साह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना/राजकीय पोलिटेकनिक, बाढ़ एवं नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13

विषय – M.Tech कोर्स में नामांकन किये जाने/पूर्णकालीन से अंशकालीन मोड में परिवर्तन किये जाने हेतु विभागीय अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निम्नलिखित सूची के स्तम्भ–2 में अंकित व्याख्याताओं/विभागाध्यक्षों को स्तम्भ–3 में उल्लिखित प्रयोजन हेतु निम्न शर्तों के अधीन विभागीय अनुमति प्रदान की जाती है:–

क्र० सं०	व्याख्याता का नाम/पदनाम/पदस्थापित संस्थान का नाम	NOC का प्रयोजन	कोर्स प्रारंभ करने का वर्ष/तिथि
1	2	3	4
1.	मोनिका रानी, व्याख्याता (सी०एस०ई०), राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना।	IIT, Patna से ऑनलाईन मोड में संचालित M.Tech कोर्स में नामांकन हेतु।	2026
2.	श्री वरूण कुमार, व्याख्याता (सी०एस०ई०), राजकीय पोलिटेकनिक, बाढ़	IIT, Patna से ऑनलाईन मोड में संचालित M.Tech कोर्स में नामांकन हेतु।	2025
3.	श्री सुधाकर कुमार, व्याख्याता (सी०एस०ई०), नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13	IIT, Patna से ऑनलाईन मोड में संचालित M.Tech कोर्स में नामांकन हेतु।	2025

(i) अंशकालीन/ऑनलाईन मोड में M.Tech कार्यों का निष्पादन संस्थानीय अवकाश के दिनों में ही करेंगे। यदि अवकाश के दिनों में भी इन शिक्षकों की आवश्यकता संस्थान में होती है तो इस स्थिति में विभाग द्वारा उपरोक्त अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। प्राचार्य इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित शिक्षकों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा प्राचार्य द्वारा की जायेगी।

(ii) संबंधित शिक्षकों के द्वारा किये जा रहे पठन–पाठन का कार्य एवं अन्य आवंटित दायित्व बाधित नहीं होना चाहिए।

(iii) सरकार द्वारा इस हेतु किसी प्रकार के वित्तीय भार का वहन नहीं किया जायेगा।

(iv.) अवकाश अवधि का यह तात्पर्य नहीं है कि रविवार को संस्थानीय अवकाश मानते हुए शनिवार और सोमवार को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहेंगे।

(v.) M.Tech पूरा करने के उपरांत 05 (पाँच) वर्ष तक विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सेवा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बीच में सेवा छोड़ने पर 20 (बीस) लाख रूपये सरकारी कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।

(vi) अंशकालीन/ऑनलाईन मोड में M.Tech करने की अवधि में विशेष परिस्थिति को छोड़कर अन्य अवकाश एवं शिशु देखभाल अवकाश (महिला शिक्षकों के लिए) का उपभोग नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन,
ह०/–

(गोपाल प्रसाद साह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– वि० प्रा० (III) विविध–21/2025/ 4368 **/पटना, दिनांक–** 31.7.26

प्रतिलिपिः– आई० टी० मैनेजर (अपलोड एवं ईमेल हेतु) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

31.07.26
सरकार के अवर सचिव।